

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश
17, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष- 2550488, 2550446, 2553305, 2551282, फ़ैक्स- 0755- 2555162

E-Mail : ceomplok09@gmail.com, Website: ceomadhyapradesh.nic.in

फा. क्र. 01/2013/3/3657
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28.03.2012

5-5-2012

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं
कलेक्टर (समस्त)
मध्यप्रदेश

विषय:- डोर दू डोर सर्वे परिशिष्ट -3 के कालम स्पष्ट करने के संबंध में
संदर्भ: इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1/013/3/2452 दिनांक 11.4.2012
कृपया विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, वास्तविक जनसंख्या तथा मतदान केन्द्र
का ईपी रेशो ज्ञात करने के लिये परिशिष्ट -3 में मतदान केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के
मकानों में रहने वाले सभी परिवारों की जानकारी ली जानी है। कतिपय बी एल ओ द्वारा प्रेक्षा की
जा रही है कि कालम किस प्रकार भरे जावे ? अतः कालम निम्नानुसार भरे जावे :-

कालम नम्बर 1	कालम नम्बर 1 में मकान क्रमांक भरा जावे, एक मकान में एक से अधिक परिवार रहते है तो मकान क्रमांक की पुनरावृत्ति की जावे ।
कालम 2,3,4,5	कालम नम्बर 2,3,4,5 में परिवार की कुल जनसंख्या अंकित की जावे, जिसमें छोटे बच्चे से लेकर सभी बड़े लोग शामिल होंगे
कालम नम्बर 6,7,8,9,	कालम नम्बर 6,7,8,9 में 1.1.2012 की स्थिति में 18 या 18 वर्ष से उपर के सभी आमजनों की संख्या अंकित करनी है।
कालम नम्बर 10,11,12,13	कालम नम्बर 10,11,12,13 में कुल कितने निर्वाचक 5.1.2012 की प्रकाशित नामावली में दर्ज है उन्हें अंकित करना है।
कालम नम्बर 14,15,16,17	उक्त कालम में क्रमशः कालम 14= कालम (6)-कालम (10) कालम 15=कालम (7)-कालम(11) कालम 16=कालम (8)-कालम(12) कालम 17=कालम (9)-कालम(13)
कालम 18,19,20,21,	कालम नम्बर 18,19,20,21 में 1.1.2013 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले आमजनों की संख्या अंकित करनी है।

कृपया तदनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के मुख्यालय से बी एल ओ को सूचित करते हुये परिशिष्ट -3 में उपरोक्तानुसार जानकारी उपलब्ध करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।

(एस.एस. बंसल) 5512

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश

परिशिष्ट-3

मतदान केन्द्र वार वार्षिक जनसंख्या
(यह पत्रक सभी मकानों अर्थात निर्वाचक नामावली में पूर्व से अंकित तथा छूटे हुए मकानों के साथ-साथ मतदान केन्द्र के अन्तर्गत नयी बसाहट को शामिल करते हुए भरा जाये)

विधान सभा क्षेत्र क्रमांक एवं नाम	मतदान केन्द्र क्रमांक
जिले का EP Ratio	
विधान सभा क्षेत्र का EP Ratio	

म. क्र	अनुभाग क्रमांक व नाम				नया/पुराना				कुल कितने मतदाता निर्वाचक नामावली में दर्ज हैं				कुल कितने मतदाता निर्वाचक नामावली में दर्ज होने से शेष हैं		1.1.2013 को 18वर्ष पूर्ण करने वाले व्यक्तियों की संख्या					
	पुरुष	महिला	अन्य	कुल	पुरुष	महिला	अन्य	कुल	पुरुष	महिला	अन्य	कुल	पुरुष	महिला	अन्य	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
अनुभाग क्रमांक व नाम																				
अनुभाग क्रमांक व नाम																				
कुल योग																				

- (1) EP Ratio (18+ जनसंख्या का) = (कालम 9 का कुल योग x 100) / कालम 5 का कुल योग
- (2) EP Ratio (मतदाता सूची के अनुसार) = (कालम 13 का कुल योग x 100) / कालम 5 का कुल योग
- (3) EP Ratio का अन्तर = (2) - (1)
- (4) 1.1.2012 को 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले बी.एल.ओ.द्वारा सर्वे के समय छुटे हुए मतदाताओं के नाम, उम्र इत्यादि जानकारी की अलग से सूची बनाई जावे तथा इनके फार्म नं 6 एवं फोटो प्राप्त करें।
- (5) 1.1.2013 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वालों की सूची पृथक से बनाई जावे।

बी.एल.ओ. का नाम व पता एवं मोबाईल नम्बर
दिनांक